

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

दिनांक - 27/12/23

क्रमांक रीडर/2023/7514

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 सोनाराम पुत्र नथाराम
के कायम मुकाम 1/1
ओमाराम 1/2
प्रहलादराम पिसरान
सोनाराम जाति जाट
निवासी भांभुओं की ढाणी
तहसील बाड़मेर ग्रामीण
व जिला बाड़मेर।

1 मूलाराम 2 खेमाराम पिसरान देवाराम 3 दीपाराम पुत्र मुकनाराम
4 खेमाराम पुत्र सोनाराम 5 हीराराम पुत्र भीखाराम 6 वीरमाराम
पुत्र अर्जुनराम 7 गंगाराम पुत्र जोधाराम 8 मुलाराम पुत्र मेहराराम
9 हडमानराम 10 मुलाराम पिसरान जीयाराम 11 गोरधनराम पुत्र
बगताराम 12 पुराराम पुत्र चौखाराम 13 मूलाराम 14 खेताराम
पिसरान कानाराम 15 मगाराम 16 केशाराम पिसरान धर्मराम 17
पदमाराम 18 मुलाराम 19 कानाराम पिसरान दुर्गाराम 20
हुकमाराम 21 आदुराम 22 नरसींगाराम पिसरान पांचाराम जाति
जाट 23 हसन पुत्र अमलु जाति मुसलमान निवासी भांभुओं की
ढाणी सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर 24
तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण।


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :- 157/2022

दिनांक- 19/12/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण भांभुओं की ढाणी पटवार हल्का सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 731 रकबा 28 बीघा, खसरा संख्या 734 रकबा 03.09 बीघा, खसरा संख्या 748 रकबा 0.03 बिस्वा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 27/12/23

क्रमांक :- रीडर/2023/7515-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. ओमाराम पुत्र सोनाराम वगैराह जाति जाट निवासी भांभुओं की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी मूलाराम पुत्र देवाराम वगैराह जाति जाट निवासी भांभुओं की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर